न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-449RAAJodhpur2023-208RTA225 Kachararam ors Vs Jiya etc

01. कचराराम पुत्र श्री घीसाराम
02. बाबुलाल पुत्र श्री गोपाराम
03. भीखीदेवी पुत्री श्री गोपाराम
04. मंगलाराम पुत्र श्री लादुराम
05. सिजकी पुत्री श्री गोपाराम
06. सोहनी पुत्री श्री घीसाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती जिया पत्नी स्व. श्री बाबुलाल, जाति विश्नोई, निवासी- रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 जीया बनाम कचराराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल, श्री नवरतनदान, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 10 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 जिया बनाम कचराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 312/1 रकबा 10.06 बीघा ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 314 रकबा 1.6989 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 315 रकबा 1.3429 हैक्टेयर में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र मृतक अप्रार्थी संख्या सात रूपादेवी के खिलाफ पेश किया जो चलने योग्य नहीं था। खसरा नं. 312/1 को रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपना संयुक्त खातेदारी का खेत बताया है, जिसमें अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जिससे प्रार्थना पत्र नोन जाईन्डर ऑफ प्रोपर पार्टी के अभाव में भी काबिल खारिज है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 278 गैर मुमकिन रास्ते से वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है जो खसरा नं. 310, 310/2 एवं 311 में से होते हुए रेस्पोडेंट संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की खातेदारी भूमि खसरा नं. 312/1 में मिलता है। उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेंट संख्या एक आवागमन करती है। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा के समक्ष जवाब में उक्त वैकल्पिक रास्ते को बताया गया, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका फर्द तलब करते हुए उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें रास्ता प्रदान कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक खसरा नं. 312/1 की खरीद के आधार पर खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम व धारा 151 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में अपीलांट्स ने अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु पटवारी से नकल मांगी तो, पटवारी ने बताया कि आपकी खातेदारी भूमि में सें रास्ता दिये जाने का आदेश हो रखा है। तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 24.11.2023 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 28.11.2023 को नकल प्राप्त होने पर पढने से प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि आपको हर पेशी आने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपके आने की जरूरत होगी, आपको सूचित कर दिया जावेगा, किंतु अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स को सूचना नहीं दी गई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम व धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर उनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब पेश कर अपीलांट्स की ओर से चाराजोही की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2023 के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी की उपस्थिति में पारित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की शुरूआत से ही जानकारी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में किये गये कथन सद्भाविक नहीं पाये जाते है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक मौका फर्द से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं है। मौका फर्द में उक्त रास्ते की दूरी 766 फीट बतायी गई है।

अपीलांट्स की ओर से अपीलाधीन रास्ते बाबत आपत्ति पेश कर रेस्पोडेंट्स संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 309, 310 व 311 में सें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना बताये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से उक्त रास्ते बाबत मौका जांच रिपोर्ट मंगवाया जाना पाया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 23.02.2023 को प्रेषित मौका फर्द दिनांक 20.01.2023 में अपीलांट्स द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते की दूरी 1346 फीट बतायी गई है जो अपीलाधीन रास्ते से अत्यधिक लंबी है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच बाद लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर